वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

CIRCULAR No. 410

No. 5-1(24)/2008-PD

Dated 14th July, 2008

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To,

The Director/Heads of all
National Labs./Instts of CSIR

Sub.: CSIR Grievance Procedure-Modifications thereof.

Sir,

I am directed to invite a reference to CSIR letter No. Const./Cte/CGC/91 dated 26th March,1992 on the above subject and to state that in order to redress the grievance of Women employees and employees belonging to SC/ST/OBC and Minorities communities of CSIR, the Director General has been pleased to modify the objective, scope and constitution of "CSIR Grievance Procedure" to the extent mentioned below:-

OBJECTIVES OF THE GRIEVANCE COMMITTEE

Para a (i) Provide easy access for ventilating personal grievances, **including those grievances of SC/ST/OBC, Woman and Minority Community which relate to discrimination at work place.**

SCOPE OF THE GRIEVANCE COMMITTEE

Para 1(a) The Grievance Committees shall consider only individual grievances of specific nature of an employee and raised individually by the concerned aggrieved employee, **including those grievances of SC/ST/OBC and Minority Community which relate to discrimination at work place.**

(b) Grievances of women employee relating to issues other than sexual harassment which have to be dealt as per instructions contained in DO letter No. 17/228/98-E.II dated 27.1.1998

Para 2.(a) Any grievance of general applicability or of collective nature or raised collectively by more than one employee. **However, such issues could be raised in the Local Council under CCS(RSA), Rules.**

CONSTITUTION OF GRIEVANCE COMMITTEES

Para A Note - **Apart from the existing model constitution, Liaison Officer SC/ST/OBC may be included as a Member in the Local Grievance Committee in a Lab./Instt. and One of the nominated members in the committee should be preferably from Woman/Minority Community.**

Para B Note - **Apart from the existing model constitution, Liaison Officer, SC/ST/OBC may be included as a Member in the Local Grievance Committee in CSIR Hqs. and One of the nominated members in the committee should be preferably from Woman/Minority Community.**

CENTRAL GRIEVANCE COMMITTEE

Para ii. Two Directors/**Scientist H/G level** of National labs./Instt

v. One Woman member or a member from Minority community from any cadre of the status of Under Secretary or above

vi. Liaison Officer of SC/ST/ OBC

PROCEDURE FOR REDRESSAL OF GRIEVANCE

STAGE-1 Consultative Mechanism

The existing committee may include **Liaison Officer SC/ST/OBC** and **One representative belonging to Woman/Minority community**

You are therefore requested to accordingly re-constitute the Local/Central Grievance Committee as per the aforesaid modified provisions.

This may be brought to the notice of all the concerned in your Laboratory/Institute.

Yours faithfully,
14/7/08
(Sushil Kumar)
Sr. Deputy Secretary

Copy to:

1. Sr. COA/COA/AO of all Labs/Instts.
2. Sr. Dy. FA/Dy. FA/Sr. F&AO/F&AO of all Labs./Instts.
3. PS to DG, CSIR
4. US & PPS to JS (Admin.)
5. PS to FA, CSIR
6. P.A. to CVO, CSIR
7. Legal Adviser, CSIR
8. Under Secretary (CO) with the request to re-constitute the Local Grievance Committee at CSIR Hqs
9. Deputy Secretary (Lab. Admn.), CSIR Hqs with the request to re-constitute the Central Grievance Committee.
10. Head, URDIP/IPMD/HRDC/RDPD/TNBD/ISTADS
11. All Dy. Secretaries/Under Secretaries in CSIR Hqrs. & CSIR Complex
12. Heads of RAB, CSIR Complex, Pusa, New Delhi
13. Dr. R.B. Misra, Secretary, Staff Side, JCM, Industrial Toxicology Research Centre, Post Box No.80, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001
14. Head, IT Division with the request to make this circular available in the website.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

परिपत्र सं० 410

No 5-1(24)/2008-पीडी

Dated 14 जुलाई, 2008

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय: सीएसआईआर शिकायत निवारण पद्धति में आशोधन संबंधी

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषयक सीएसआईआर के दिनांक 26 मार्च, 1992 के पत्र सं. कांस्ट/कमेटी/सीजीसी/91 का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सीएसआईआर की महिला कर्मचारियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों की शिकायत का निवारण करने के लिए महानिदेशक ने "सीएसआईआर शिकायत निवारण पद्धति" के उद्देश्य, कार्य क्षेत्र और गठन में निम्नांकित सीमा तक आशोधन करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है:

शिकायत समिति के उद्देश्य

पैरा क (i) **अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व., महिला और अल्पसंख्यक समुदाय की कार्यस्थल पर भेदभाव से संबंधित शिकायतों सहित** व्यक्तिगत शिकायतों को प्रकट करने के लिए आसान पहुंच उपलब्ध कराना,

शिकायत समिति का कार्यक्षेत्र

पैरा 1(क) ये शिकायत समितियां **अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. और अल्पसंख्यक समुदाय की कार्यस्थल पर भेदभाव से संबंधित शिकायतों सहित** कर्मचारी की विशिष्ट प्रकृति की और संबंधित व्यथित कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उठाई गई वैयक्तिक शिकायतों पर ही विचार करेंगी,

जारी.2/-

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI E-mail : csirhg@sirnetd.ernet.in

(ख) **महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के अतिरिक्त अन्य मामलों से संबंधित शिकायतें। महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों पर दिनांक 27.1.1998 के अर्ध शा. पत्र सं.17/228/98-ई.II में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई की जानी है।**

पैरा 2 (क) सामान्य अनुप्रयोज्यता अथवा सामूहिक प्रकृति अथवा एक से अधिक कर्मचारी द्वारा सामूहिक रूप से की गई कोई शिकायत। **तथापि, ऐसे मुद्दों को सीसीएस (आरएसए), नियमावली के अंतर्गत स्थानीय परिषद में उठाया जा सकता है।**

<u>शिकायत समितियों का गठन</u>

पैरा क नोट - **मौजूदा मॉडल गठन के अतिरिक्त संपर्क अधिकारी, अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. को प्रयोगशाला/संस्थान में स्थानीय शिकायत समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाए और समिति के नामित सदस्यों में से एक सदस्य अधिमान्यतया महिला/अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए।**

पैरा ख नोट- **मौजूदा मॉडल गठन के अतिरिक्त संपर्क अधिकारी, अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. को सीएसआईआर मुख्यालय की स्थानीय शिकायत समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाए तथा समिति के नामित सदस्यों में एक सदस्य अधिमान्यतया महिला/अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए।**

<u>केन्द्रीय शिकायत समिति</u>

पैरा ii. राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के दो निदेशक/**वैज्ञानिक एच/जी स्तर के**

v. **अवर सचिव अथवा उससे उच्चतर पद के स्तर पर कार्यरत किसी भी काडर की एक महिला सदस्य अथवा अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य**

vi **अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का संपर्क अधिकारी**

<u>शिकायत की निवारण पद्धति</u>

चरण-1 परामर्शी तंत्र

मौजूदा समिति में **संपर्क अधिकारी, अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. और महिला/अल्पसंख्यक समुदाय के एक प्रतिनिधि को सम्मिलित किया जाए।**

अतः अनुरोध है कि उक्त आशोधित प्रावधानों के अनुसार स्थानीय/केन्द्रीय शिकायत समिति का पुनर्गठन करें।

जारी.3/-

कृपया इसे अपनी प्रयोगशाला/संस्थान के सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
वरिष्ठ उप सचिव

प्रति:

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (प्रशा.) के प्रधान निजी सचिव तथा अवर सचिव
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर की निजी सहायक
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर के निजी सहायक
7. विधि सलाहकार, सीएसआईआर
8. अवर सचिव (के.का.) को इस अनुरोध के साथ कि वे सीएसआईआर मुख्यालय में स्थानीय शिकायत समिति का पुनर्गठन करें।
9. उप सचिव (प्र.प्र.), सीएसआईआर मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ कि वे केन्द्रीय शिकायत समिति का पुनर्गठन करें।
10. प्रधान, यूआरडीआईपी/आईपीएमडी/एचआरडीसी/आरडीपीडी/टीएनबीडी/इस्टैड्स
11. सीएसआईआर मुख्यालय एवं सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स के सभी उप सचिव/अवर सचिव
12. प्रधान, आरएबी, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली
13. डॉ. आर.बी. मिश्रा, सचिव, स्टाफ साइड, जेसीएम, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बॉक्स सं.80, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001
14. प्रधान, आईटी प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर दर्शाएं।